राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद्

डॉ० राधाकृष्णन् शिक्षा संकुल, ब्लॉक–6, जवाहर लाल नेहरू मार्ग, जयपुर–302017

दूरभाषनं. 0141–2701596 E-mail: rajssaquality@gmail.com

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/होनहार राजस्थान/2020–21 14296 दिनांक 27/8/2020

होनहार राजस्थान
दिशा–निर्देश सत्र 2020–21

विद्यार्थियों के शिक्षण अधिगम में निरन्तर सुधार एवं गुणवत्ता लाने एवं विद्यालय से जुडी समस्त शैक्षणिक एवं सहशैक्षणिक गतिविधियों का फोकस विद्यार्थी की उपलब्धि पर केन्द्रित करने के उद्देश्य से राज्य स्तर पर एक अभिनव पहल की गई। विद्यार्थियों एवं विद्यालयों के उपलब्धि परक प्रमाणीकरण की अवधारणा को ध्यान में रख कर **"होनहार राजस्थान"** कार्यक्रम की विस्तृत रूपरेखा तैयार की गई। कार्यक्रम का आधार प्रदेश के समस्त विद्यालयों में 29 फरवरी 2020 को आयोजित गुणवत्ता दिवस रखा गया। उक्त गुणवत्ता दिवस के अवसर पर आयोजित परीक्षा में लगभग 61000 विद्यालयों के 42 लाख विद्यार्थियों (कक्षा 2–7) ने भाग लिया। आयोजन का उद्देश्य नेशनल एचिवमेन्ट सर्वे के लिए विद्यालयों को शैक्षिक रूप से सुदृढ करना था।

आगामी नेशनल एचिवमेन्ट सर्वे हेतु विद्यालय स्तर पर की जा रही इन्ही तैयारियों की समीक्षा के उद्देश्य से सत्र 2020–21 में स्कूल शिक्षा से जुडे सभी तन्त्रों यथा शिक्षा अधिकारियों, विद्यालय संस्थाप्रधानों, शिक्षकों का ध्यान विद्यालय के शैक्षिक स्तर की वृद्वि पर केन्द्रित करने हेतु **"होनहार राजस्थान कार्यक्रम"** अन्तर्गत विद्यालय प्रमाणीकरण किया जाना है। जिसकी स्वीकृति मानव संसाधन विकास मंत्रालय द्वारा वार्षिक कार्य योजना 2020–21 में प्रदान की गई है।

"होनहार राजस्थान" विद्यालय की शैक्षणिक गुणवत्ता का प्रमाणीकरण करने की दिशा में सार्थक पहल है। इस कार्यक्रम के माध्यम से कक्षा 2–7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर के अनुसार विद्यालयों को ब्रॉन्ज, सिल्वर एवं गोल्ड प्रमाण पत्र प्रदान किये जायेंगे।

उद्देश्य–

- विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर में वृद्वि हेतु स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना।
- शैक्षिक उपलब्धि के आधार पर विद्यालय की गुणवत्ता का आंकलन कर प्रमाणीकरण करना।
- विभिन्न विद्यालयों के मध्य स्वस्थ प्रतिस्पर्धा का विकास करना।
- बेहतर प्रदर्शन वाले शिक्षकों, संस्थाप्रधानों, विद्यालयों को प्रोत्साहित व सम्मानित करना।
- बच्चों में सीखने के प्रति जिज्ञासा व सजगता की भावना को प्रोत्साहित करना।
- विद्यालयों को अकादमिक सहयोग एवं संबलन प्रदान करना।

प्रक्रिया–

- **"सरल से कठिन की ओर"** की अवधारणा पर योजना में क्रमशः ब्रॉन्ज, सिल्वर एवं गोल्ड तीन स्तर के मापदण्ड प्रमाणीकरण हेतु निर्धारित किये गये है।
- प्रमाणीकरण की प्रक्रिया तीन चरणों में पूर्ण की जायेगी। प्रत्येक चरण में लगभग 15000 विद्यालयों में प्रमाणीकरण कार्य सम्पादित किया जाना है। उक्त विद्यालयों का चयन गुणवत्ता दिवस के आंकडों के आधार पर परिषद स्तर से किया जाकर संबंधित जिलों एवं विद्यालयों को अवगत कराया जायेगा।

प्रमाणीकरण के मानक –

प्रमाणीकरण स्तर	मानक
ब्रॉन्ज	कक्षा 2–7 के 50 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय में कक्षा स्तर की 50 प्रतिशत दक्षताओं को प्राप्त करना।
सिल्वर	कक्षा 2–7 के 65 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय में कक्षा स्तर की 50 प्रतिशत दक्षताओं को प्राप्त करना।
गोल्ड	कक्षा 2–7 के 80 प्रतिशत विद्यार्थियों द्वारा भाषा, गणित, अंग्रेजी विषय में कक्षा स्तर की 50 प्रतिशत दक्षताओं को प्राप्त करना।

- प्रथम चरण में विद्यालय स्तर पर मूल्यांकन आयोजित किया जायेगा। उक्त मूल्यांकन अनुसार जो विद्यालय ब्रॉन्ज स्तर के मानकों को पूर्ण करेंगे, वह ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र हेतु शाला दर्पण पोर्टल के माध्यम से आवेदन करेंगे। आवेदन करने के उपरान्त कक्षा 2–7 में अध्ययनरत विद्यार्थियों की शैक्षिक स्तर की जाँच डाइट के माध्यम से की जाकर ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र प्रदान करने का निर्णय लिया जा सकेगा।
- द्वितीय चरण में वह विद्यालय जो ब्रॉन्ज प्रमाणीकरण प्रक्रिया में असफल होंगे पुनः ब्रॉन्ज प्रमाणीकरण हेतु स्वयं को मनोनीत कर सकेंगे। जिन विद्यालयें को प्रथम चरण में ब्रॉन्ज प्रमाणीरकरण प्राप्त हुआ है वह द्वितीय चरण में सिल्वर प्रमाणीकरण हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- तृतीय चरण में जिन विद्यालयों का कोई प्रमाणीकरण नहीं हुआ वह स्वयं को ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र हेतु मनोनीत कर सकेंगे, सभी ब्रॉन्ज प्रमाण पत्र वाले विद्यालय सिल्वर प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे तथा सभी सिल्वर प्रमाण पत्र वाले विद्यालय गोल्ड प्रमाण पत्र हेतु आवेदन कर सकेंगे।
- योजना के निर्धारित मानकों के अनुसार विद्यालय स्वंय को प्रमाणीकरण हेतु मनोनीत करेंगे।
- ब्रॉन्ज एवं सिल्वर प्रमाणीकरण हेतु विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच दक्षता आधारित प्रश्न पत्रों के अनुसार डाइट में अध्ययनरत इर्न्टन्स के माध्यम से की जायेगी।
- जो विद्यालय गोल्ड प्रमाण पत्र के लिए स्वंय को मनोनित करेंगे, उनके विद्यार्थियों के शैक्षिक स्तर की जाँच बाह्य संस्था/जिला/ब्लॉक परिवर्तित करते हुए की जायेगी।
- कार्यक्रम की सफलता विद्यार्थियों के उपलब्धि प्रतिशत के आधार पर परिभाषित की जायेगी एवं इसे गुणवत्ता दिवस के शाला दर्पण पर उपलब्ध परिणाम के सन्दर्भ में आंकलित किया जायेगा।

कार्ययोजना–

क्र.सं.	गतिविधि	संभावित समयावधि
1	पीईईओं, ब्लॉक, जिला अधिकारियों डाइट फैकल्टी का आमुखीकरण	अगस्त का अन्तिम सप्ताह
2	चयनित विद्यालयों को प्रमाणीकरण के लिए पूर्ण तैयारी हेतु निर्देशित करना	सितम्बर माह का प्रथम सप्ताह
3	प्रमाणीकरण हेतु चयनित विद्यालयों के शिक्षकों का आमुखीकरण	सितम्बर माह का द्वितीय सप्ताह
4	डाइट द्वारा चयनित वीक्षकों आमुखीकरण	परीक्षा आयोजन से एक सप्ताह पूर्व
5	डाइट के माध्यम से विद्यालय के शैक्षिक स्तर की जाँच हेतु परीक्षा का आयोजन	विद्यालय खुलने से 7–8 सप्ताह बाद
6	उत्तर पुस्तिकाओं का आंकलन, परिणाम तैयार करना	परीक्षा आयोजन के 2 सप्ताह में
7	परिणाम का विश्लेषण, घोषणा, विद्यालयों को प्रमाण पत्र आवटन करना	परीक्षा आयोजन के 3 सप्ताह में

मॉनीटरिंग–

- जिला स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु सभी मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा नियमित बैठक, मॉनीटरिंग एवं सम्बलन प्रदान करेंगे।
- अति. जिला परियोजना समन्वयक, प्रधानाचार्य डाइट, जिला शिक्षा अधिकारी मुख्यालय, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी के निर्देशन में मॉनीटरिंग एवं संबलन प्रदान करेंगे।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के प्रभावी संचालन हेतु सम्बन्धित सभी सीबीईओ अपने अधीनस्थ पीईईओ से समन्वयन स्थापित कर नियमित मॉनीटरिंग एवं सम्बलन प्रदान करेंगे।
- प्रमाणीकरण प्रक्रिया हेतु आवश्यक प्रश्न पत्र, उत्तरपुस्तिकाऐं एवं परीक्षण सामग्री जिला सतर पर डाइट एवं आरएससीईआरटी उदयपुर, के समन्वय द्वारा तैयार की जायेगी।
- ब्लॉक स्तर पर कार्यक्रम के सफल संचालन हेतु ACBEO-I सहप्रभारी के रूप में कार्य सम्पादित करेंगे।
- जिला एवं ब्लॉक पर समस्त तकनीकी सहयोग समग्र शिक्षा अन्तर्गत कार्यरत कम्प्यूटर ऑपरेटर के द्वारा प्रदान किये जायेंगे।

27/08/2020

(बाबू लाल मीणा)
राज्य परियोजना निदेशक एवं आयुक्त

क्रमांक : रा.स्कूल.शि.प./जय/गुणवत्ता/होनहार राजस्थान/2020–21 14296 दिनांक 27/8/2020

प्रतिलिपिः–निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित –

1. निजी सचिव, प्रमुख शासन सचिव, स्कूल शिक्षा एंव भाषा विभाग, जयपुर।
2. निजी सहायक, राज्य परियोजना निदेशक, राजस्थान स्कूल माध्यमिक शिक्षा परिषद्, जयपुर।
3. निजी सहायक, निदेशक, माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा, निदेशालय, बीकानेर।
4. निजी सहायक, अति.राज्य परियोजना निदेशक–प्रथम/द्वितीय, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद, जयपुर।
5. निजी सहायक, निदेशक, आरएससीईआरटी उदयपुर।
6. श्री विनोद जैन, तकनीकी निदेशक, एनआईसी, जयपुर।
7. संयुक्त निदेशक, समस्त संभाग,
8. उपायुक्त, समस्त, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुरं।
9. संयुक्त निदेशक, राजस्थान स्कूल शिक्षा परिषद् जयपुर।
10. मुख्य जिला शिक्षा अधिकारी एव पदेन जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
11. अति. जिला परियोजना समन्वयक, समग्र शिक्षा, समस्त जिले।
12. जिला शिक्षा अधिकारी, मुख्यालय माध्यमिक/प्रारम्भिक शिक्षा समस्त जिले।
13. प्रधानाचार्य, डाइट, समस्त जिले।
14. मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी, समग्र शिक्षा, समस्त ब्लॉक।
15. पीईईओ, समस्त।
16. कार्यालय प्रति।

26/8/20

अति.राज्य परियोजना निदेशक –प्रथम